201

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा (म0प्र0)

COURT FEE INDIA 20 Rs. बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

150/14

रामदीन तनय छंग्गा पटेल, निवासी ग्राम तमरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

.....................आवेदक / निगरानीकर्ता

निग. 1168-III-14

बनाम

1. रामनिवास तनय रामप्रताप मिश्र निवासी ग्राम तमरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
2. भगवानदीन तनय ब्रजवासी पटेल निवासी ग्राम तमरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

रामानुज सोंधिया एड. के 20.3.14

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्र0क्र0 172/अ–12/2010–11 आदेश दिनांक 28.02.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मांन्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :–

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि आवेदक निगरानीकर्ता की आराजी नं0 599/2 मौजा तमरा तहसील हुजूर जिला रीवा में स्थित है, उक्त भूमि के सीमंकन बावत् न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका प्र0क्र0 49अ–12/2008–09 है, उक्त आवेदन पत्र के अनुसार राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा विधित रूप से सरहद्दी कास्तकारो को सूचित किया जाकर दिनांक 25.06.2010 को सीमांकन किया गया तथा 27.06.2010 को विधिवत अपना प्रतिवेदन स्थल पंचनामा, सूचना पत्र एव फीड बुक नायब तहसीलदार के न्यायालय मे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, स्थल पंचनामा एवं सूचना पत्र मे स्पष्ट रूप से लेख है कि गैर निगरानीकर्ता रामनिवास गौतम सूचना पत्र मे हस्ताक्षर करने से इंकार किया है, इसी तरीके से स्थल पंचनामा मे स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मौके से रामनिवास गौतम एवं

रामानुज (एडवोकेट) 20/3/14

7-4-14

रामदीन पटेल

201

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक. R–1168-III/14 जिला रीवा

रामदीन पटेल/ रामनिवास मिश्रा

(1)	(2)	(3)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री रामानुज सोंधिया अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 172/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.02.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	